यल्स जज

उभयपक्ष उप०। ... कुरफात अंतिम ... 3 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

उभयपक्ष उप०। ... आपत्ति कुरफात अंतिम ... 3/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उभयपक्ष उप० वादी ... कुरफात पेश किया। ... वास्ते जवाब आपत्ति

... खण्ड अधिकारी
... दीकई (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातो के एवं तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरफात के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा तकासमा एवं ख्याली निर्देशात्मा स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार बाँदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बाँदीकुई मुकाम–बाँदीकुई
जज इजलास–श्री नीरज कुमार मीना आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बाँदीकुई

उनवान–कजोड पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर बनाम नाथ्या पुत्र गंगासहाय वगै. जाति गुर्जर .
दावा बाबत–तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–216/2021 सन्–2021

दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी वकील–श्री श्याम सुन्दर शर्मा व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील न गुर्जर मिनजानिब मुदई रूबरू .... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण वकील की सहमति प्रकट करने पर वादी वाद तकास्मा स्वीकार किया प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार बसवा को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी नं 270 लगा. 272 किता–03 रकबा 0.63 हैक्ट. ग्राम रामपुरा गूजरान तह. बसवा जिला दौसा का राजस्व में दर्ज खातेदारान के मध्य सरस–नरस, मकान, बाडे, रास्ता, आवागमन कब्जा आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक संभव हो कब्जा के मध्यनजर विधिवत पक्षकारान की मौजूदगी में मौका विभाजन प्रस्ताव कर बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस के भिजवाये।

...............मुबलिग...बाबत्...
...मुकदमें के मय सूद मसरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख
...तक.................................. का अदा करें।
...र दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 09 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत..........................
ओहदा..........................
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
...अर्जी दावा ...वकालत ...वजह सबूत ...वकील खर्चा ...कमिश्नर ...इजराय हुक्मनामा ...क	Nil		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	Nil	
			मीजान		

दस्तखत...

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH-01420-228457 E-Mail-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–226/2021
प्रकरण दायर दिनांकः–03.09.2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः–22.09.2023

उनवान– 1. कजोड पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर निवासी झूपडीन तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. नाथ्या पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर निवासी झूपडीन तहसील बसवा जिला दौसा।
2. कैलाशी पत्नि लल्लू, जाति गुर्जर नि. फरासपुरा तह. सिकराय जिला दौसा
3. रामपति पुत्री नाथ्या पत्नि भजनलाल
4. केशन्ता पुत्री नाथ्या पत्नी बाबूलाल
5. भगवती पुत्री नाथ्या, पत्नी मानसिंह
6. फूलबाई पुत्री नाथ्या पत्नी कमल

   समस्त जाति गुर्जर निवासी जामडोली गुवाडा तह. बसवा जिला दौसा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बॉदीकुई।
8. उपपंजीयन अधिकारी बडियालकलॉ तह. बैजूपाडा जिला दौसा
9. सुगन देवी पत्नि हरजीराम जाति गुर्जर निवासी रामपुरा गूजरान तह. बसवा जिला दौसा
10. राहुल आयु 16 वर्ष पि. मु. नाथ्या जाति गुर्जर नाबालिग जरिये वादमित्र मामा कजोड पुत्र सुरज्ञान, जाति गुर्जर नि. मूंडघिस्या तह. दौसा जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–226/2021 सन्–2021

निर्णय दिनांकः 22.09.2023

वादी द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरा गुजरान पटवार हल्का बासडा तहसील बसवा जिला दौसा खाता सं. नया 21 पुराना 15 के आराजी खसरा नं. 270, 271, 272 कुल किता 03 कुल रकबा 0.63 हैक्ट. स्थित है। जो कि वादी एवं प्रतिवादी की सहखातेदारी की भूमि है। जिसे आगे वाद पत्र में भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया में वादी का हिस्सा 1/2 है। भूमि मुतदाविया अभी सहखातेदारी की भूमि है, जिसका अभी तक विधिवत रूप से तकास्मा नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर मनसमाई से काबिज काश्त हैं। लेकिन अब प्रतिवादी सं. 01 के मन में बदेहान्ति पैदा हो गई है जो कि बिना विधिवत तकास्मा हुए भूमि मुतदाविया का किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जब वादी ने प्रतिवादी से उक्त भूमि का विधिवत तकास्मा कराने को कहा तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गये इसलिए वादी को यह वाद पेश करना लाजिम हुआ है। प्रतिवादी सं. 01 ने वादी को एलानिया धमकी दी कि तुमको तुम्हारे हिस्से की भूमि से बेदखल कर अपना जबरिया कब्जा करके रहेगें एवं तुमको उक्त भूमि से बेदखल करके रहेंगें। ऐसी सूरत में वादी को वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रामपुरा गुजरान पटवार हल्का बासडा तहसील बसवा जिला दौसा खाता सं. नया 21 पुराना 15 के आराजी खसरा नं. 270, 271, 272 कुल किता 03 कुल रकबा 0.63 हैक्ट. स्थित है में वादी का कब्जा व सरस–नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा किया जाकर उक्त भूमि मुतदाविया में वादी का अलग खाता व अलग पासबुक जारी की जावे। तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द

Scanned with OKEN Scanner

फरमाया जावे कि ग्राम रामपुरा गुजरान पटवार हल्का बासडा तहसील बसवा जिला दौसा खाता सं. नया 21 पुराना 15 के आराजी खसरा नं. 270, 271, 272 कुल किता 03 कुल रकबा 0.63 हैक्ट. स्थित है में उक्त भूमि पर जब तक विधिवत सरस–नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा नहीं हो जाता, तब तक वादी के हिस्से की कब्जे, काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत व व्यवधान पैदा करने से व वादी को जबरन भूमि मुतदाविया से बेदखल करने एवं उक्त भूमि मुतदाविया में अवैध रास्ता निकालने से व भूमि मुतदाविया में नवनिर्माण करने से व अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बय करने से स्वयं बाज व मुमतन्हा रहे। मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। उभयपक्ष वकील ने वाद को रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सरस–नरस तकास्मा कर प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया एवं सहमति प्रकट की। उभयपक्ष वकील की सहमति से वादी वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया गया एवं तहसीलदार बसवा को वादग्रस्त भूमि खाता सं. नई 21 पुराना 15 के खसरा नं. 270, 271, 272 कुल किता 03 कुल रकबा 0.63 हैक्ट. स्थित ग्राम रामपुरा गुजरान तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदारान के मध्य मकान, बाडे, रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जहॉ तक सम्भव हो कब्जा के मध्यनजर, सरस नरस विभाजन कर कुरैजात प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बसवा के पत्र कमांक: 3318 दिनांक: 09.03.2022 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरैजात का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। वादी की ओर से जर्ये वकील प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पेश किया गया कि उनवानी प्रकरण में कुरैजात बनाते समय तहसीलदार द्वारा वादी को कोई नोटिस नहीं दिया गया कुरैजात पटवारी हल्का ने बनाए हैं। तहसीलदार मौके पर मौजूद नहीं रहा। सडक वाली मंहगी उपजाउ भूमि कुरैजात में प्रतिवादीगण को दे दी गई है तथा जिस भूमि पर वादी के छप्परपोश कब्जा है, वह भूमि प्रतिवादीगण को दे दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात स्वीकार कर उक्त प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई से पुनः पक्षकारों की मौजूदगी में कुरैजात मंगवाने के आदेश प्रदान करें। प्रतिवादी वकील ने प्रा. पत्र ऐतराज कुरैजात का जवाब पेश नहीं कर प्रा. पत्र पर बहस कराना चाही।

प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। तहसीलदार बसवा के पत्र कमांक: 3318 दिनांक: 09.03.2022 द्वारा प्रस्तुत कुरैजात प्रस्ताव दिनांक: 01.03.2022 का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट है। अतः बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव दिनांक: 01.03.2022 स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

नाम खातेदार जमाबंदी अनुसार				वर्तमान कुरैजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी			
नाम ग्राम	खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	कम सं.	नाम काश्तकार व वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा
रामपुरा गुजरान	21	270 271 272	0.03 0.30 0.30	1.	कजोड पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर सा. झोपडीन खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) एस.बी.आई. शाखा बॉदीकुई	271/2 272	0.02 0.30
		किता 03	0.63 हैक्ट.		कुल	किता–02	0.32 हैक्ट.
				2.	नाथ्या पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर	270	0.03

उपखण्ड अधिकारी बॉदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

					सा. झोपडीन खातेदार	271/1	0.28
					कुल	किता 02	0.31 हैक्ट.

कुरैजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादिया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई